



राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण

प्लॉट न० ए 1, आई०टी० पार्क, देहरादून -248001
ई-मेल: ceo-shauk@uk.gov.in



पत्रांक: रा०स्वा०प्रा०/2022 -23/हॉस्पिटल मैनेजमेंट/153

दिनांक : 10 मई 2022

प्रेषित,

श्री राजीव कुमार,
चिकित्सालय संचालक,
नवजीवन हॉस्पिटल, धनपुरा, लक्सर रोड,
हरिद्वार।

विषय: सूचीबद्धता हेतु किये गये अनुबन्ध के Section 11 Para 2 के अनुसार 01 माह का नोटिस प्रेषित किये जाने विषयक ।

महोदय,

नवजीवन हॉस्पिटल, धनपुरा, लक्सर रोड, हरिद्वार द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2018 को HEM Portal के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया गया था एवं दिनांक 07 दिसम्बर 2018 को जनपद स्तरीय इम्पैनलमेंट समिति की संस्तुति उपरान्त राज्य हेल्थ एजेंसी द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर 2018 को योजना के अन्तर्गत ऑनलाईन पंजीकृत किया गया । प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत नवजीवन हॉस्पिटल, धनपुरा, लक्सर रोड, हरिद्वार को अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने के उपरान्त योजना के अन्तर्गत सूचीबद्धता प्रदान की गई थी।

2. यह कि हस्ताक्षरित अनुबन्ध Section 11(2) Termination के अनुसार

This Agreement may be terminated by either party by giving one month's prior written notice by means of registered letter or a letter delivered at the office and duly acknowledged by the other, provided that this Agreement shall remain effective thereafter with respect to all rights and obligations incurred or committed by the parties hereto prior to such termination.

3. उक्त विषय पर सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि हॉस्पिटल तथा SHA के मध्य हस्ताक्षरित अनुबन्ध के Section 11, Clause 2 के अनुसार SHA द्वारा दिनांक 10 मई 2022 से अनुबन्ध को समाप्त किया जाता है और हॉस्पिटल की सूचीबद्धता निरस्त की जाती है। तदनुसार दिनांक 10 जून 2022 को पोर्टल से चिकित्सालय की Login ID deactivate हो जायेगी ।

भवदीय,

(डॉ० डी० एस० रावत)
निदेशक-हॉस्पिटल मैनेजमेंट